

**भारत सरकार**  
**कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन**  
**पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग**

<<<< प्रस्तुति का माध्यम >>>>

क्र सं.	मामलों के प्रकार	प्रस्तुति का माध्यम	अंतिम निपटारे का स्तर
1.	नीति बनाने और उनमें बदलाव से संबंधित मामलों पर निर्णय	डेस्क/ उप सचिव या निदेशक / संयुक्त सचिव/ सचिव (पेंशन)	राज्य मंत्री (पी पी)
2.	सेवानिवृति लाभों से संबंधित नियमों में संशोधन	डेस्क/ उप सचिव या निदेशक / संयुक्त सचिव/ सचिव (पेंशन)	राज्य मंत्री (पी पी)
3.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में तत्काल समाविष्टि से छूट	डेस्क/ उप सचिव या निदेशक / संयुक्त सचिव (पेंशन)	सचिव (पेंशन)
4.	मंत्रालयों/ विभागों से प्राप्त संदर्भ (i) परामर्श/ विद्यमान आदेश पर आधारित सहमति/ निदेश/ प्रक्रियाएं / (ii) नियमों की व्याख्या पर प्रतिक्रिया (iii) नियमों के स्पष्टीकरण के फलस्वरूप सामान्य निदेश जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया (iv) छूट अथवा विवेक का प्रयोग करके नीति तैयार करने की प्रक्रिया	डेस्क/ उप सचिव या निदेशक  डेस्क/ उप सचिव या निदेशक  डेस्क/ उप सचिव या निदेशक/ संयुक्त सचिव (पेंशन)  डेस्क/ उप सचिव या निदेशक/ संयुक्त सचिव (पेंशन)	संयुक्त सचिव (पेंशन)  संयुक्त सचिव (पेंशन) सचिव (पेंशन) सचिव (पेंशन)
5.	पेंशनभोगी संघों/ संगठनों को सहायता अनुदान	डेस्क/ उप सचिव या निदेशक/ संयुक्त सचिव (पेंशन)	सचिव (पेंशन)
6.	व्यक्तियों/ संघों की पेंशन संबंधी लाभों से संबंधित शिकायत (i) अति विशिष्ट व्यक्ति संदर्भ (ii) अति विशिष्ट व्यक्ति से इतर	डेस्क/ उप सचिव या निदेशक  डेस्क/ उप सचिव या निदेशक  डेस्क/ उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव (पेंशन)  संयुक्त सचिव (पेंशन)/ सचिव(पेंशन) / राज्यमंत्री संयुक्त सचिव (पेंशन)
7.	सूचना का अधिकार से संबंधित मामले : (i) सीपीआईओ की नियुक्ति	अनुभाग/ कार्यालयाध्यक्ष/	सचिव(पेंशन)